

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सं० संख्या-02/CMT (शुल्क संशोधन)-35/2014 परि०,

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-

विषय :- बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में संशोधन के संबंध में संसूचना।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय अधिसूचना संख्या-4966 दिनांक-26.09.2017 द्वारा बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के अधिभारों में किये गये संशोधन से संबंधित ई-गजट की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।
अनु०-यथोक्त।

ह०/-

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02/CMT (शुल्क संशोधन)-35/2014 परि०,

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02/CMT (शुल्क संशोधन)-35/2014 परि०,

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) /सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02/CMT (शुल्क संशोधन)-35/2014 परि०,

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-


प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02/CMT (शुल्क संशोधन)-35/2014 परि०, 5027 पटना, दिनांक- 04.10.17

प्रतिलिपि :- प्रधान पद्धति विश्लेषक, एन०आई०सी०, पटना/आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान पद्धति विश्लेषक, एन०आई०सी०, पटना से अनुरोध है कि तदनुसार वाहन/सारथी सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने की कृपा की जाय।

3. आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संलग्न ई-गजट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे एवं ई-मेल के माध्यम से सभी संबंधित को संसूचित करेंगे।



प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 आश्विन 1939 (श10)
(सं0 पटना 902) पटना, मंगलवार, 26 सितम्बर 2017

परिवहन विभाग

अधिसूचना

26 सितम्बर 2017

सं0 02/सी0एम0टी0(शुल्क संशोधन)-35/2014परि0-4966—मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा- 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं जिसका पूर्व प्रकाशन उक्त अधिनियम की धारा-212 के अधीन यथापेक्षित अधिसूचना सं0-983 दिनांक 17 नवम्बर, 2016 द्वारा किया जा चुका है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।—

- (1) यह नियमावली बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी, यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

अनुसूची-II

बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के निम्नलिखित नियमों के अधीन निम्नलिखित फीस और अधिभार की राशि विनिश्चित की जाती है।

भुगतयेय फीस एवं अधिभार की राशि

भुगतयेय फीस की राशि

भुगतयेय अधिभार की राशि

1. नियम 30 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु जाँच फीस 20 रुपये	—	150 रु०
2. नियम 36 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति प्रतिस्थापन फीस 30 रुपये	—	170 रु०
3. नियम 34 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति पर फोटो प्रतिस्थापन फीस 10 रुपये	—	90 रु०
4. नियम 35 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति के लिए फीस 20 रुपये	—	150 रु०
5. नियम 37 के तहत अपील के लिए फीस 20 रुपये	—	150 रु०
6. नियम 37 के तहत दस्तावेज की प्रति के लिए फीस 20 रुपये	—	150 रु०

अधिनियम के अध्याय IV के अधीन

1. (क) नियम 41 के उप-नियम (i) में अपील के लिये फीस 50 रुपये	—	250 रु०
(ख) नियम 41 के उप-नियम (ii) एवं (iii) में अपील के लिये फीस	—	250 रु०
2. नियम 47 के तहत प्रदत्त सुविधा के लिए प्रति मोटरवाहन फीस 10 रुपये	—	490 रु०
3. नियम 52 (2) के अधीन योग्यता प्रमाण-पत्र के वैधता विस्तार के लिए फीस 20 रुपये	—	180 रु०
4. नियम 53 के उप-नियम (i) के अधीन अस्थायी निबंधन प्रमाण-पत्र एवं प्रत्येक अवधि विस्तार के लिए फीस 20 रुपये	—	130 रु०
2/3 पहिया वाहन	—	280 रु०
एल०एम०भी०	—	480 रु०
एम०एम०भी०	—	680 रु०
एच०एम०भी०	—	
5. नियम 58 के उप-नियम (2) एवं (3) के अधीन दस्तावेज की प्रति के लिये फीस 10 रु०	—	190 रु०
6. नियम 58 के अधीन वाहन के निबंधन की प्रविष्टियों की प्रति निबंधन के लिये फीस 10 रुपये	—	190 रु०
7. अस्थायी निबंधन प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति के लिये फीस 10 रुपये	—	490 रु०
8. योग्यता प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति के लिये फीस 7.50 रु०		
2/3 पहिया वाहन	—	50 रु०
एल०एम०भी०	—	100 रु०
एम०एम०भी०	—	150 रु०
एच०एम०भी०	—	200 रु०
9. नियम 190 के अन्तर्गत अतिभारित वाहनों से हटाये गये समानों के भंडारीकरण के लिये फीस प्रत्येक 100 कि०ग्रा० भार पर 5 रु० प्रतिदिन	—	50 रु०
10. स्वामित्व स्थानांतरण के समय वाहन के निरीक्षण हेतु फीस	—	500 रु०

अधिनियम के अध्याय II के अधीन

1. नियम 4 के अधीन शिशु अनुज्ञप्ति की मंजूरी हेतु प्रत्येक जाँच के लिए फीस 20 रुपये	—	150 रु०
2. चालक अनुज्ञप्ति की मंजूरी हेतु प्रत्येक जाँच के लिए फीस 50 रुपये	—	450 रु०
3. नियम 12 के अधीन चालक अनुज्ञप्ति पर सटे फोटो प्रतिस्थापन के लिए फीस 10 रुपये	—	150 रु०
4. नियम 13 के अधीन चालक अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति के लिए फीस 30 रुपये	—	170 रु०
5. नियम 18 के अधीन अधिप्रमाण-पत्र की मंजूरी हेतु प्रत्येक जाँच के लिए फीस 20 रुपये	—	180 रु०
6. नियम 20 के अन्तर्गत अपील के लिये फीस 30 रुपये	—	170 रु०
7. नियम 20 के अधीन दस्तावेज की प्रत्येक प्रति के लिये फीस 30 रुपये	—	180 रु०
8. नियम 21 के अधीन चालक अनुज्ञप्ति की विवरणी की प्रत्येक प्रति के लिये फीस 10 रु०	—	90 रु०
9. धारा 8/ की उपधारा 3 के अधीन जारी किये जाने वाले चिकित्सा प्रमाण-पत्र के लिये फीस 10 रुपये	—	90 रु०

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा,
सरकार के प्रधान सचिव।

26 सितम्बर 2017

सं० 02/सी०एम०टी०(शुल्क संशोधन)-35/2014 परि० 4966 दिनांक 26 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 26th September 2017

No 02/C.M.T.(Fee Amendment)-35/2014-4966— In exercise of the powers conferred by sec-211 of the Motor Vehicle Act, 1988 (Act 59,1988), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Motor Vehicle Rules, 1992, Prior publication of which required under section 212 of the Act has been done through notification No-983, dated-17.11.2016

1. Short title, extent and commencement—

- (1) This rule may be called Bihar motor vehicle (Amendment) rules, 2017. It shall come into force with immediate effect.
2. It shall be enforced to the whole of the state of Bihar.

Annexure-II

The fee and surcharge payable under following Rule of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992—

Payable fees	Payable Surcharge
1. Under rule 30 fee for enquiry of conductor's licence Rs. 20	Rs. 150
2. Under rule 30 fee for replacements of conductor's licence Rs. 30	Rs. 170
3. Under rule 34 fee for replacement of photograph on conductors licence Rs. 10	Rs. 90
4. Under rule 35 fee for duplicate copy of conductor's licence Rs. 20	Rs. 150
5. Under rule 37 fee for Appeal Rs. 20	Rs. 150
6. Under rule 37 fee for copy of document Rs. 20	Rs. 150

Under Section IV of Act

1. (a) under rule 41 of sub-section (i) fee for Appeal Rs. 50	Rs. 250								
(b) under rule 41 of sub-section (ii) & (iii) fee for Appeal Rs. 50	Rs. 250								
2. Under rule 47 fee for facility of copy of Motor Vehicle Rs.10	Rs. 490								
3. Under rule 52 (2) fee for extension of C.F Rs. 20	Rs. 180								
4. Under rule 53 (i) fee for temporary registration certificate and time extension Rs. 20	<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>2/3 wheelers</td> <td style="text-align: right;">Rs. 130</td> </tr> <tr> <td>L.M.V.</td> <td style="text-align: right;">Rs. 280</td> </tr> <tr> <td>M.M.V.</td> <td style="text-align: right;">Rs. 480</td> </tr> <tr> <td>H.M.V.</td> <td style="text-align: right;">Rs. 680</td> </tr> </table>	2/3 wheelers	Rs. 130	L.M.V.	Rs. 280	M.M.V.	Rs. 480	H.M.V.	Rs. 680
2/3 wheelers	Rs. 130								
L.M.V.	Rs. 280								
M.M.V.	Rs. 480								
H.M.V.	Rs. 680								
5. Under rule 58 (2) & (3) fee for copy of documents Rs. 10	Rs. 190								
6. Under rule 58 fee for copy of entry of the registration of vehicles Rs. 10	Rs. 190								
7. Fee for duplicate copy of temporary registration certificate Rs. 10	Rs. 490								
8. Fee for duplicate copy of the certificate of fitness Rs. 7.50	<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>2/3 wheelers</td> <td style="text-align: right;">Rs. 50</td> </tr> <tr> <td>L.M.V.</td> <td style="text-align: right;">Rs. 100</td> </tr> <tr> <td>M.M.V.</td> <td style="text-align: right;">Rs. 150</td> </tr> <tr> <td>H.M.V.</td> <td style="text-align: right;">Rs. 200</td> </tr> </table>	2/3 wheelers	Rs. 50	L.M.V.	Rs. 100	M.M.V.	Rs. 150	H.M.V.	Rs. 200
2/3 wheelers	Rs. 50								
L.M.V.	Rs. 100								
M.M.V.	Rs. 150								
H.M.V.	Rs. 200								
9. Under rule 190 fee for the storage for the goods replaced from overload vehicles Rs. 5 for 100 kgs. per day.	Rs. 50								
10. Fee for inspection of Motor Vehicle at the time of transfer of ownership	Rs. 500								

Under Section II of Act

1. Under rule 4 fee for test for grant of learners licence Rs. 20	Rs. 150
2. Fee for test for grant of driving licence Rs. 50	Rs. 450
3. Under rule 12 fee for replacement of photograph attached in the licence Rs. 10	Rs. 150

4. Under rule 13 fee for duplicate copy of driving licence Rs. 30	Rs. 170
5. Under rule 18 fee for enquiry for grant of certificate Rs. 20	Rs. 180
6. Under rule 20 fee for Appeal Rs. 30	Rs. 170
7. Under rule 20 fee for each duplicate copy of document Rs. 30	Rs. 180
8. Under rule 21 fee for each description of driving licence Rs. 10	Rs. 90
9. Under sub-rule 3 of section 8 fee for issuing medical certificate Rs. 10	Rs. 90

By order of the Governor of Bihar,
BRIJESH MEHROTRA,
Principal secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 902-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>